

OS(EST)

SAO

n.c.
09/03/17

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938

No. 135]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

सा.का.नि.167(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर और तकनीकी अधिकारी (उपकरण इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2006, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर और तकनीकी अधिकारी (उपकरण इंजीनियरी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर, ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर और तकनीकी अधिकारी (उपकरण इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2017 हैं।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति -


(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

1055 GI/2017

(1)



परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ उपकरण इंजीनियर	01*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67700-208700/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित और शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-10 में ऐसे तकनीकी अधिकारी (उपकरण इंजीनियरी) जिन्होंने उस वेतन-मैट्रिक्स में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु वह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य</p> <p>(3) निदेशक या उप सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य</p> <p>(4) निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य</p>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2:- प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड अथवा पद में विनिर्दिष्ट अर्हकारी सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधिक संविदा भी है):-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-शासकीय या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500/- रु०) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, या

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों:
आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपकरण इंजीनियरी या उपकरण प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में बैचलर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विशिष्ट प्रश्न-पत्र के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के साथ भौतिक विज्ञान या अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान के साथ मास्टर डिग्री; और

(ii) चीनी उद्योग या किसी प्रतिष्ठित चीनी अनुसंधान संस्थान में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के शिक्षण या अनुसंधान, मरम्मत या रखरखाव या ओवरहॉलिंग का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणता चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<p>विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>		<p>अर्हता और अनुभव हैं: टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11)	(12)	(13)
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष निदेशक या उप सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य 	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा. सं. ए-12018/8/2010-एस. ए.]

सुभाशीष पन्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2017

G.S.R. 167(E) .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Senior Instrument Engineer and Technical Officer (Instrument Engineering) Recruitment Rules, 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Instrument Engineer and Technical Officer (Instrument Engineering) in the National Sugar Institute, Kanpur, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

- Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Senior Instrument Engineer and Technical Officer (Instrument Engineering) Recruitment Rules, 2017.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**- The number of post, its classification, and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen, Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Instrument Engineer.	01* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700/-)	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Technical Officer (Instrument Engineering) in Level-10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix with five years' regular service in the pay matrix. Note 1. — Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Secretary, Department of Food and Public Distribution. - Chairman (2) Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution. - Member (3) Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

<p>service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2.- The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade or post. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or recognised research institutes or Councils or Universities or public sector undertakings or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations; (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix in parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- Essential: (i) Bachelor's Degree in Instrument Engineering or Instrument Technology or Electronic Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electrical Engineering or Mechanical Engineering of a recognised University or Institute with four years' experience in relevant field. or Master's of Science in Physics or Applied Physics with Electronics as a special paper from a recognised University or Institute; and (ii) three years' experience of teaching or research or repair or maintenance or overhauling of various instruments used in sugar industry or sugar research institute of repute.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation (including short term contract), in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same</p>	<p>Distribution. - Member</p> <p>(4) Director, National Sugar Institute, Kanpur Member</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Technical Officer (Instrument Engineering).	02* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500/-)	Not applicable.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government): Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's degree in Instrumentation Engineering or Instrument Technology or Electronics and Instrumentation Engineering or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Electrical and Electronics Engineering of recognised University or Institute with two years experience in the relevant field; or</p> <p>(ii) Master of Science in Physics or Applied</p>	Not applicable.	One year.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note.- The vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation from officers of Central Government-</p>

<p>Physics with Electronics as a special paper from a recognised University or Institute with one year experience of teaching or research and / or repair or maintenance or overhauling of various instruments used in sugar industry or sugar research institute of repute.</p> <p>Note 1.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>			<p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent, in parent cadre or department, and (b) possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution. - Chairman 2. Director or Deputy Secretary, Department of Food and Public Distribution. - Member 3. Director, National Sugar Institute, Kanpur - Member 	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F.No.A-12018/8/2010-SA]

SUBHASISH PANDA, Jt. Secy.

RAKESH
SUKULDigitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2017.03.02 16:28:38
+05'30'